संख्या– 048/प्र0स0कृषि–कैम्प/2020

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. निदेशक कृषि,
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि विभाग लखनऊः दिनॉकः 02 अप्रैल, 2020

विषयः– हार्वेस्टर व अन्य कृषि उपकरणों के अन्तर्राज्यीय व अन्तर्जनपदीय यातायात के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के विस्तृत आदेश दिनॉक 29 मार्च, 2020 तथा अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनॉक 27 मार्च 2020, 29 मार्च 2020 एवं 30 मार्च 2020 द्वारा रबी की कटाई सुनिश्चित करने के लिए कम्बाईन हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि यंत्रों को संचालन की अनुमति दी गयी थी। कुशल श्रमिकों के अन्तर्जनपदीय आवागमन हेतु यथा आवश्यक पास निर्गत करने की अनुमति दी गयी थी।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत आदेश दिनॉक 27 मार्च 2020 द्वारा भी (हार्वेस्टर व अन्य बुआई से सम्बंधित उपकरणों के) अन्तर्राज्यीय व अन्तर जनपदीय यातायात की अनुमति कर दी गयी है। तत्क्रम में इस सम्बंध में यह भी निर्देशित कियाा जाता है कि अन्य राज्यों (जैसे (पंजाब और हरियाणा) से आनेवाले कम्बाईन हार्वेस्टर को भी अधिकतम 5 श्रमिकों के साथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आने की अनुमति दे दी जाये जिससे वह प्रदेश में किसानों के रबी की फसल की समय से कटाई हेतु अपना योगदान दे सके। तद्नुसार कृपया कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–048/प्र0स0कृषि–कैम्प/2020, तददिनॉक

प्रतिलिपि–1. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner